

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एड्स रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शेष देवी पति-सत्यवान सिंह ग्राम-मानसिंगपुर पोस्ट-नन्दलाला बाद थाना-गौरीचक जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	बेबी किरण कुमारी पिता-मनोज राज ग्राम-सीकठी पोस्ट-अखलासपुर थाना-भभुआ जिला-भभुआ कैमुर	ऐनल रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	माधुरी सिन्हा पति-महेन्द्र प्रसाद ग्राम-पो०+थाना-दनियावा जिला-पटना	ऑट की सर्जरी	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	महेन्द्र प्रसाद पिता-स्व. जनक महतो ग्राम-नासरीगंज बेलतल पैठान टोली, पो०-बाटागंज थाना-दानापुर जिला पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	नेत लाल यादव पिता-स्व. बासुदेव यादव ग्राम-मीरा बीगहा पो०-कला नौर थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।

31/11/16

6	प्रमीला देवी पति-राजेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-पो0-मनकीपार थाना-कादीरगंज जिला पटना	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	मनोज कुमार पिता-विरेंद्र कुमार ग्राम-साहेबगंज इटहरी पो0-हरिलपुर कला थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	राजदेव महतो पिता-ललता प्रसाद ग्राम-पो0-शहरी थाना-बाढ़ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	नागेश्वर प्रसाद पिता-स्व. साधु शरण प्रसाद ग्राम+पो0-धरमपुर थाना-काको जिला-जहानाबाद	हरनिया रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
10	मो. सफी अहमद पिता-कबीरूल हक ग्राम+पो0-पुरैनीया थाना-दरपा जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
11	राज कुमार पिता-यमुना प्रसाद ग्राम-छोटी पटनदेवी नया टोला पो0-झाउगंज थाना-चौक जिला-पटना	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
12	सुधीर सिंह पिता-राम उदय सिंह ग्राम+पो0+थाना-तेलमर जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
13	रविन्द्र चौधरी पिता-शंकर चौधरी ग्राम-पो0-इस्माईलपुर थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
14	सुरज कुमार पिता-अमीरक प्रसाद ग्राम-खेदान बीगहा पो0-मुरगांव थाना-इस्लामपुर जिला-नालंदा	ब्रेन सर्जरी रोग	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।

15	मरनी देवी पति-अरूण कुमार महतो ग्राम+पो0-बरबट्टा थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 17,83,000/

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,83,000/ (सतरह लाख तेरासी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509218 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 **SBIN0009005** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 509218 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - (97 (14)

पटना, दिनांक - 15-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21-1-2016

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.02.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	गायशा कुमारी देवी पति-स्व सर्वजीत बहादुर सिंह ग्राम+पो०-सदौवां थाना-सिंधवलीया जिला-गोपालगंज सी.आरनं०-161643/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	श्याम साह पिता-चीकु साह ग्राम-हफलागंज पोस्ट-सिरनीयां थाना-नगर जिला-कटिहार सी.आरनं०-46370/13	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	विसुनदेव पासवान पिता-स्व. दरोगा पासवान ग्राम-कोरीयाम पो०-बड़ा कोरीयाम थाना+जिला-अरवल सी.आरनं०-1729/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	महेन्द्र मंडल पिता-स्व. डुरो मंडल (टेरु मंडल) ग्राम-हरीचक पोस्ट-काशडी थाना-अन्तीचक जिला-भागलपुर सी.आरनं०-5367/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

21/1/17

5	बसन्ती देवी पति-स्व. बृज नन्दन प्रसाद ग्राम-नीशीयांवा पो0-उस्मानचक थाना-मसौढी जिला-पटना सी.आरनं0-48711 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
6	प्रमीला देवी पति-गुलाब यादव ग्राम-धरहरा पो0-गनपतगंज थाना-राघोपुर जिला-सुपौल सी.आरनं0-6954 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
7	शिव दुलारी देवी पति-उपेन्द्र साह ग्राम-बथुआरा टोले मुजौलीया बाजार, पो0-बथुआरा, थाना-बेला, जिला-सीतामढी सी.आरनं0-93 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
8	मुजीबुर रहमान पिता-स्व. शेमु ग्राम-मिलीक टोला पो0-खोकसा थाना-वाइसी जिला-पूर्णिया सी.आरनं0-3734 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
9	मो. खुर्शीद अनवर पिता-स्व. अब्दुल रहमान ग्राम-नादरागंज थाना-सिविल लाईन पो0+जिला-गया सीआरनं0-160703 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
10	मो0 जाबीर पिता-मो0 मोस्लिम ग्राम+पो0-बनौल थाना-नानपुर जिला-सीतामढी सीआर नं0-107321 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
11	राम सोमारी देवी पति-मनीराम सिंह ग्राम-मछहा पो0-भासर मछहा थाना+जिला-सीतामढी सीआर नं0-157112 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

12	मिना देवी पति-प्रमोद गौड़ ग्राम-हथुअहवा पो0-बिनही थाना-भितहा ओपी जिला-प0 चम्पारण सीआर नं0-125808 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
13	दुखी सदा पिता-स्व0 बालचन्द्र सदा ग्राम+पो0-बघौल थाना-बहेरी, जिला-दरभंगा सीआर नं0-130081 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
14	विमला देवी पति-चन्द्र महतो ग्राम-पहाडपुर पो0-सोनबर्षा, थाना-तरीयानी जिला-शिवहर सीआर नं0-157465 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
15	शान्ति देवी पति-भिखर दास ग्राम-दयानगर पो0-रामनगर, थाना-बेलसंड जिला-सीतामढी सीआर नं0-154690 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
16	शमस आलम पिता-स्व0 मो0 सफी ग्राम-छावनी वार्ड नं0-5 पो0-बेतिया, थाना-नगर जिला-प0 चम्पारण सीआर नं0-154843 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
17	पवन कुमार मिश्रा पिता-मदन मिश्रा ग्राम-राजेन्द्र नगर वार्ड 2 पो0+थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /--(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
18	धनवन्ती देवी पति-रामश्लोक महतो ग्राम-नया टोला महमदपुर पो0-सवनीमा थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना सीआर नं0-6716 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
19	मो0 अब्बास पिता-सौखत मियाँ ग्राम+पो0+थाना-बिदुपुर जिला-वैशाली सीआर नं0-155666 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

20	कंचन राम पिता-लखन राम ग्राम-परिहारा पो0-गैनी थाना-खुदवा जिला-औरंगाबाद सीआर नं0-6650 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
21	दुना देवी पति-जर्नादन यादव ग्राम+पो0-गौरैया बथान थाना-गोगरी जिला-खगडिया सीआर नं0-9069 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
22	सुरेश राय पिता-सीताराम राय ग्राम-असकरनपुर पो0-बोअरीया, थाना-सराय जिला-वैशाली सीआर नं0-81 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
23	सोना देवी पति-स्व0 रामगुलाम साव ग्राम-पूर्वी नंदगोला पो0-माधव मिल्स थाना-मालसलामी, जिला-पटना सीआर नं0-3376 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
24	रामदेई देवी पति-हिर महतो ग्राम-माधर पो0-साधर सुल्तानपुर थाना-भगवानपुर हाट जिला-सिवान सीआर नं0-147664 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
25	सुधांशु कुमार पिता-हरे राम सिंह ग्राम-पो0-नोनी थाना-चन्द्रदीप, जिला-जमुई सीआर नं0-4535 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
26	पचिया देवी पति-राम जीवन महतो ग्राम-रौजा पो0-छपरा, थाना-नगर जिला-सारण सीआर नं0-5046 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

27	रेहाना खातुन पति-मो० रसिद ग्राम-मोगलपुरा फौजदारी कुआँ पो०-झाउगंज, थाना-खाजेकला जिला-पटना सीआर नं०-140301/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
28	फुलदाय देवी पति-राम प्रसाद ताती ग्राम-मझौडा पो०+थाना-बहेरा जिला-दरभंगा सीआर नं०-5782/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
29	संजय कुमार झा पिता-राजेन्द्र झा ग्राम+पो०-पघारी थाना-बिरौल जिला-दरभंगा सीआर नं०-154834/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
30	कादिर पिता-स्व० सइद ग्राम-कौसकीनाथ झा लेन पो०-चम्पानगर थाना-नाथनगर जिला-भागलपुर सीआर नं०-156552/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
31	ममता सिन्हा पति-प्रमोद कुमार सिन्हा ग्राम-रविन्द्रभवन जनता रोड पो०-जी.पी.ओ. थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना सीआर नं०-5219/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			₹ 20,40,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,40,000 /- (बीस लाख चालीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....
509195..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

20/11/15
11/2/16

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 189 (14)

पटना, दिनांक - 15-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.2.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.2.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुभाष तिवारी पिता-मिथलेश तिवार ग्राम-मिल्की पोस्ट-अछुआ, थाना-पालीगंज जिला-पटना	हिप रिप्लेसमेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	सबीता कुमारी पिता-शंकर साह ग्राम-अररा पो०-हरिदासपुर थाना कांटी जिला मुजफ्फरपुर	कोकलीयर इंप्लांट रोग	₹ 6,50,000/- (छः लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	संतोष कुमार दत्त पिता-राजकिशोर दत्त ग्राम+पो०-चौरौत थाना-पुपरी जिला-सीतामढी	हिप प्रत्यारोपण	₹ 2,00,000/- (दो लाख) स्वीकृत।
4	इन्द्र कला देवी पति-अर्जुन प्रसाद राय ग्राम-पो०-लगुनीया थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर	घुटना प्रत्यारोपण	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 11,00,000/- (ग्यारह लाख) मात्र का क्रास चेक सं०.....

509194 मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

3/11/16
11/2/16

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 194 (14)

पटना, दिनांक- 15-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री. हिन्दा

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	श्रीकान्त कुमार पिता-अवधेश प्रसाद ग्राम-टेहटा मठ पो०-टेहटा थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	मो० जसीम कुरैसी पिता-मो० रजाक कुरैसी ग्राम-हजरतगंज मकसुदपुर थाना-कासीम बाजार पो०+जिला-मुर्गेर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	चन्द्रिका साह पिता-शिवनंदन साह ग्राम-चक अपसैद पो०-परमानंदपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	रितेश कुमार पिता-शैलेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-घोडाटाप पो०-एकबालगंज निशरपुरा थाना-बिहटा जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सत्तर हजार) स्वीकृत।
5	डिम्पल कुमारी पति-नवीन कुमार ग्राम-पो०-नरारी थाना-थरथरी जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
6	मो० अजाहीम पिता-स्व० खलील मियाँ ग्राम-चकीया पो०+थाना+जिला-सिवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

31/1/15
11/2/16

7	उज्ज्वल प्रकाश पिता-अविनाश शंकर ग्राम-डब्लू /एस 5/51 कंकडबाग कॉलनी, लोहिया नगर पो0-लोहिया नगर थाना-कंकडबाग जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल रू0 6,20,000 /

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509216 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 509216 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 /-


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

- 195 (14)

पटना, दिनांक - 15-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.1.2016

सं० सं०- 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
एस.एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सागर महतो पिता-चिन्ता महतो ग्राम-ढेगाडीह पो०+थाना-करताहा जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	विश्वनाथ सिंह पिता-स्व० रामलखन राय ग्राम-राजेन्द्र नगर पो०-लोहिया नगर थाना-पत्रकार नगर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	बरती देवी पति-मथुरा साव ग्राम+पो०-नेमदारगंज थाना-अकबरपुर जिला-नवादा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	शारदा कुमारी पति-अरुण कुमार यादव ग्राम-समाचक्क पो०-साइस्तापुर थाना-बख्तियापुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	दुलीया देवी पति-हिरा यादव ग्राम-खंधरा पो०-दुल्लहपुर थाना-सिमरी जिला-बक्सर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

31/1/17
11/2/17

6	शंकर चौधरी पिता-स्व० रामचन्द्र चौधरी ग्राम+पो०-सेवाही थाना-तिलौथु जिला-रोहतास	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
7	किरण देवी पति-सत्येन्द्र कुमार ग्राम-महगुपुर पो०-धरमपुर थाना-नुरसराय जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,20,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,20,000/- (चार लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509260 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509260 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 15-2-16

ज्ञापांक - 193 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21-2-16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० मकबुल खान पिता-मो० इस्लाम खॉ ग्राम-पतघागर पो०-खपडा थाना-सग्रामपुर जिला-मुंगेर	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
2	मो० रहमतुल्ला खान पिता-स्व० मो० अनस खान ग्राम-दादरमंडी पो०-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
3	राजबल्लभ राय पिता-स्व० राम सकल राय ग्राम-जनकधारी लाल रोड पानी टंकी, पो०+थाना-दानापुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
4	अविनाश कुमार पिता-राजकुमार सिंह ग्राम-रामपुर पो०-रामपुर सधरी थाना-ओराई जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
5	अजय कुमार यादव पिता-कमलेश्वर प्रा० यादव ग्राम-गोसाईपुर पो०-बाराचकीया थाना-पिपरा जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

20/11/16
11/2/16

6	शिवरानी देवी पति-स्व० देवनंदन राम ग्राम-सफीपुर पो०+थाना-खुसरूपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	लखन महतो पिता-स्व० गणेश महतो ग्राम-जगदीशपुर पो०-बोरी, थाना-काशीचक्क जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	विनोद राय पिता-जगेश्वर प्रसाद ग्राम-महुआ सिंह राय पो०+थाना-महुआ जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			₹ 9,70,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,70,000/- (नौ लाख सतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509255 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509255 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 190 (14)

पटना, दिनांक - 15-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.2.16